महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2227102 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

सार्वजनिक सूचना

दिनांक: 11/05/2026

विषय: सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के नाम से संचालित अनधिकृत खातों/पेज/चैनल के संबंध में।

समस्त संबंधित हितधारकों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (यथा Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, X आदि) पर इस विश्वविद्यालय के नाम चाहे पूर्ण हो अथवा संक्षिप्त, विश्वविद्यालय के लोगो (Logo), या लोगो से मिलता-जुलता चिन्ह, अथवा किसी अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय के कार्यों से संलग्नता प्रदर्शित करते हुए अनेक अनधिकृत खाते/प्रोफाइल/पेज/चैनल संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें इस विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

ऐसे अनधिकृत खातों के माध्यम से भ्रामक एवं असत्य सूचनाएँ प्रसारित किए जाने तथा विद्यार्थियों एवं आमजन के साथ धोखाधड़ी एवं वित्तीय ठगी किए जाने की संभावना है, जिससे विश्वविद्यालय की संस्थागत छवि एवं विद्यार्थियों/जनसामान्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अतः यह सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि —

जो भी व्यक्ति/संस्था इस विश्वविद्यालय के नाम, लोगो अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार के पहचान चिह्न का उपयोग करते हुए बिना विश्वविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाता/प्रोफाइल/पेज/चैनल संचालित करते हैं, वे इस नोटिस के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर ऐसे समस्त अनधिकृत खाते/प्रोफाइल/पेज/चैनल स्वेच्छा से बंद/डिलीट करें।

निर्धारित अवधि में अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की स्वयं की होगी।

उदाहरणार्थ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 318 (धोखाधड़ी) एवं धारा 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), Information Technology Act, 2000 की धारा 66C (पहचान की चोरी / Identity Theft) एवं धारा 66D (कम्प्यूटर संसाधन द्वारा प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी Cheating by Personation), Trade Marks Act, 1999 की धारा 103 एवं 104 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के नाम एवं लोगो के अनधिकृत उपयोग आदि के अंतर्गत कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय के अधिकृत एवं सत्यापित (Official & Verified) सोशल मीडिया खातों की सूची विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mgsubikaner.ac.in पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों एवं जनसामान्य से अनुरोध है कि वे केवल विश्वविद्यालय के अधिकृत सोशल मीडिया खातों एवं आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें तथा किसी अनधिकृत खाते की जानकारी मिलने पर विश्वविद्यालय को smcomplaint@mgsubikaner.ac.in पर सूचित करें।

साथ ही, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अन्य हितधारकों एवं आमजन से अनुरोध है कि वे ऐसे किसी भी अनधिकृत सोशल मीडिया खाते/पेज/चैनल की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित प्लेटफॉर्म (App) पर उपलब्ध "Report" अथवा अन्य विकल्पों के माध्यम से "Fake Account/Impersonation" के रूप में रिपोर्ट करें, जिससे संबंधित प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसे खातों पर शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर